Form No. III

अज अदालत– उपखण्ड अधिकारी, लूनकरनसर

किस्म मुकदमा :– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 एलआरएक्ट प्रकरण संख्या :– 122-123/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15-06-21	आज यह पत्रावली तहसीलदार लूनकरनसर से प्रस्ताव प्राप्त होने पर पेश हुई । प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थी/प्रार्थीगण/तहसीलदार लूनकरनसर ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि काश्तकारान के नाम से ग्राम बीड़संगरेउ की जमाबन्दी सम्वत्..2067–70 में निम्न तालिका अनुसार खातेदारी भूमि दर्ज रिकॉर्ड थी :–	

क.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	चक में गया रकबा	**सेटलमेन्ट द्वारा चक प्लॉन से बाहर रहे रकबे को छोड़ा गया**	**प्रस्तावित ख.नं.**	रकबा बीघा में	किस्म
1	उदाराम पुत्र चोखाराम कौम कुम्हार साकिन पीपेरा खातेदार रहन एसबीबीजे शाखा मलकीसर	**256/71**	14.04	11.00	3.04 बीघा	256/71	3.04	बा–1
2	चूनगर पुत्र गंगागर कौम गुसाई साकिन मोखमपुरा खातेदार	254/71	11.17	4.18	6.19 बीघा	254/71	6.19	बा–1

उक्त तालिका में उल्लेखित भू प्रबन्ध विभाग द्वारा सर्वे उपरान्त तैयार शुदा जमाबन्दी में काश्तकारान का नाम व रकबा छोड़ दिया गया । प्रार्थी/ प्रार्थीगण / स्टेट जरिये तहसीलदार अन्तर्गत धारा 131, 136 [illegible] रिकार्ड में काश्तकारान का नाम व रकबा जोड़ने हेतु आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रार्थीगण प्रस्तुत होने पर प्रकरणों [illegible] कर दर्ज रजिस्टर किये गये। सभी प्रकरणों की प्रकृति एक समान होने के कारण सभी [illegible] का एक साथ लिखवाया गया। हमने तहसीलदार लूनकरनसर की रिपोर्ट/ प्रार्थना पत्रों का अवलोकन किया। मुताबिक रिपोर्ट/प्रार्थना पत्रों तहसीलदार [illegible] बीड़संगरेउ की जमाबन्दी सम्वत....2067–70 के तालिका में उल्लेखित रकबे अनुसार काश्तकारान के नाम से खातेदारी रिकार्ड थी जो भू प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार जमाबन्दी में उक्त रकबें नये खसरा नम्बर में दर्ज नहीं किये गयें तथा ना ही नक्शा में तरमीम कर दर्शाये गये हैं। हल्का पटवारी महाजन, आई.एल.आर., महाजन, व नायब तहसीलदार महाजन व तहसीलदार लूनकरनसर के अनुसार मौके पर तालिका में उल्लेखित काश्तकारान का पुराने खसरा नम्बरान के हिसाब से काबिज हैं।

उप खण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.07.29 11:08:31 IST
Reason: SelfAttested

पटवारी हल्का महाजन व भू–अभिलेख निरीक्षक महाजन की रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार राजस्व लूनकरनसर द्वारा न्यायालय हाजा में प्रेषित प्रार्थना पत्रों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अतः प्रार्थी/प्रार्थीगण/स्टेट जरिये तहसीलदार के प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होते हैं। लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 131,136 एलआरएक्ट स्वीकार किये जाते है तथा तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर को आदेश दिए जाते है कि प्रार्थी/खातेदार के नाम निम्न तालिका अनुसार दर्ज रिकॉर्ड कर राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करे :–

क्र.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	चक में गया रकबा	**सेटलमेन्ट द्वारा चक प्लॉन से बाहर रहे रकबे को छोड़ा गया**	**प्रस्तावित ख.नं.**	रकबा बीघा में	किस्म
1	उदाराम पुत्र चोखाराम कौम कुम्हार साकिन पीपेरा खातेदार रहन एसबीबीजे शाखा मलकीसर	**256/71**	14.04	11.00	3.04 बीघा	256/71	3.04	बा–1
2	चूनगर पुत्र गंगागर कौम गुसाई साकिन मोखमपुरा खातेदार	254/71	11.17	4.18	6.19 बीघा	254/71	6.19	बा–1

इसी अनुसार सम्बन्धित काश्तकारान के रकबे को नक्शें में तरमीम करें। इस आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार (राजस्व)लूनकरनसर को प्रेषित की जावे। इस आदेश की प्रति प्रत्येक प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न की जावें पत्रावलीया निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में आज दिनांक 15-06-2021 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(भागीरथ शाख)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.07.29 11:08:31 IST
Reason: SelfAttested